

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 10 फरवरी, 2000 (माघ 21, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1997-98 (संचालक स्थानीय निधि सम्परीक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियाँ स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रामाण्य की टिप्पणियाँ) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री चनेशराम राठिया, मछली पालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अनुप मिश्रा, सदस्य, भोपाल दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध निर्मित पदार्थों की कीमत में वृद्धि किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री शिवमोहन सिंह, सदस्य, राज्य शासन द्वारा पेशन भोगियों की मांगों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-154 कन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.) के सदस्य, श्री महेन्द्र कर्मा को फरवरी-मार्च, 2000 सत्र की दिनांक 29 फरवरी, 2000 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

निर्धारित
समय

5. शासकीय विधि विधेयक कार्य

1 घण्टा

श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 (क्रमांक 40 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

6. वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक का उपस्थापन

3 बजे

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक का उपस्थापन करेंगे।

भोपाल :
दिनांक : 9 फरवरी, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा